

Registration no: (234147120211129094319) Date: (29-11-2021) Valid till: (29-11-2024)



जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | ROHTAS
 शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना
 प्रमाण पत्र



四

अध्यात्म / अध्यस्थायक / प्रशंसक
के नीतीय सम्पर्कित शिक्षा बोर्ड, ०
शिक्षा केंद्र, २ कम्पनीटी सेटर ०

विवर - बच्चों की गृहित एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकारियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत दिलासा की प्रस्तुतीकृति का प्राप्तान यह।

第10章

आपके आवेदन पढ़ दिनांक 29-11-2021 और उसके क्रम में आपसे किये गये प्रश्नावार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के अलोक आपके विद्यालय PRAGYA NIKETAN PUBLIC SCHOOL, PRAGYA NIKETAN PUBLIC SCHOOL, KHANIPUR, P.O - NAD VIA , TAKIYA, 821115. काहा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन बर्ष 29-11-2021 से 29-11-2024 तकपि के लिए औपचारिक प्रत्यक्षीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदूष प्रतीक्षिति नियम शर्तों के अनुसार संकेत के अधीन होगी।

- प्रस्तुती के लिए भी परिस्थिति में काढ़ा 8 तक की नीमा के बाहर मायन नहीं होती।
 - विद्यालय बच्चों की मृजा एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुत्प्रक-1) तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुत्प्रक-2) का अनुपालन आवश्यक स्तर से सुनिश्चित करेंगे।
 - विद्यालय अपनी काढ़ा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल कमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने 3 करेगा। पर्याप्त के कामयार बर्ग एवं अलापकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मृजा एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि पर्याप्त विद्यालय में पूर्ण प्रारंभिक कक्षाओं वाला संवालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन वृद्धि प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
 - कठिनिका 3 में उद्दिष्ट बच्चों के मामते में विद्यालय को बच्चों की मृजा एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपचारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संबंधान करेगा।
 - सीमाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का फैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी रस्ता उसके मात्रा-मित्रा वा अनिभवक का स्कीलिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
 - विद्यालय किसी भव्य के नामांकन से उसके उप प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों वाले इसमें से किसी एक कारण के आधार पर दुःखात नहीं कर सकेगा।
 - विद्यालय के प्राप्त विस्तारी संविधित लिए जाएंगे।

— 8 —

- (v) नियोजित किया जाएगा ।

(vi) किसी भी वये को किसी प्रकार का शारीरिक दृढ़ नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताधित नहीं किया जाएगा ।

(vii) किसी भी वये को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा वाले करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

(viii) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक वया को नियम 22 के आलोचन में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा ।

(ix) अधिनियम के प्रत्यागों के अद्वितीय में किलांग / विदेश आवश्यकता वाले वयों का समर्वेशन किया जाएगा ।

(x) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा में उनके लिए नियोजित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा ।

(xi) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेगे ।

(xii) शिक्षक नियम व्यवस्था पर किसी भी प्रकार की शिक्षण परिवर्तनी में संलग्न नहीं होगे ।

८. विद्युतीय राष्ट्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यसंग्रहों का अनुसरण करेगा।

९. विद्यालय अधिनियम की धारा १९ के प्रावधानों के आंतरों में उपलब्ध संविधाओं के अन्तर्गत रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

16. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों पर्याप्त मानदंडों को बढ़ाव दिया गया। विद्यालय के अधिकारियों के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नतः-

॥ शिवाय परिषद् का स्वेच्छाल : - 1919750

- (II) कुल निविल स्ट्रीट :- 101075Q
- (III) सेवा के मैदान के स्ट्रीट :- PLAYGROUNDS, ALL TYPES OF SCIENCE LABS, COMPUTER LAB, MATHEMATICS LAB, LIBRARY ETC.
- (IV) वर्ग कक्षों की कुल संख्या :- 12
- (V) प्रधानाध्यापक-सह कार्यालय सह-भंडार कक्ष :- 3
- (VI) भास्कर तथा बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian , Boys :- 42 , Girls 12
- (VII) प्रेयबाल की सुविधा :- 2
- (VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0
- (IX) बालार्थित पर्किंग :-
- (X) शिक्षण अधिगम सामग्री/ सेल-कुद उपकारण/पुस्तकालय :- BOOKS, NEWS PAPER, GLOBE, SMART CLASS, LABS, CHARTS, GEMOTRY BOX , CRICKET, FOOTBALL, BOLYBALL, BOXING, BADMINTON, CHESS, CARAMBOARD , (Y , 975 , NewsPaper MagaZine:- 8)

11. कोई भी अपराधीकृत वर्किंग विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा ।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा ।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्विचित सोसाइटी के द्वारा अपना किसी निर्धारित समय में लालू कानून के द्वारा गठित किसी प्रतिक्रिया दृष्ट के माध्यम से 13 संवालित होगा ।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, जगहु अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के साथ के लिए संवालित नहीं होगा ।
15. सेवा का अंकेक्षण एवं उसका प्रायालीकरण बार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित विषयों के आलोक में उपर्युक्त सेवा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक सेवा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीकार को भेजी जाएगी ।
16. अपने विद्यालय की आवंटित प्रश्नीकृति कोड संख्या [234147120211129094319, 2021] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रश्नावार करने में इस कोड को अद्वितीय एवं उद्धृत किया जाए ।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / प्रिमा शिक्षा याचिकारी के द्वारा समय-समाय "मौग किए गए प्रतिवेदन एवं यूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के सर प्रश्नीकृति की शर्तों के संगतार रूप से पूछा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा ।
18. यदि सोसाइटी के निवेदन के नीतीकरण की किसी प्रकार की भावनापकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए ।
19. अनुलग्नक III के सम्म में संलग्न अन्य शर्तें



जिला कार्यक्रम पर्वतीयकारी, ROHTAS
सह-सचिव प्रश्नीकृत समिति
शिक्षा विभाग , विहार सरकार